न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 132/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरीराम पुत्र थानाराम जाति मेघवाल निवासी धीनावास, तहसील सोजत, जिला—पाली, (राजस्थान)		1. गोमाराम पंवार पुत्र मुकनाराम जाति मेघवंशी निवासी धीनावास, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 2. तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री किशनसिंह चारण अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक — 14.01.2019

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा धाकड़ी, पटवार हल्का धाकड़ी तहसील सोजत में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2242 रकबा 0.3200 है0, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 2243 रकबा 0.7500 है0 किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 2244 रकबा 1.0100 है0, कुल किता खसरा 03 कुल रकबा 2.0800 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित वादरथ आराजीयात कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी वादी के पिता थाना वल्द पना कौम मेगवंशी की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। वादी के पिता थानाराम का स्वर्गवास होने के बाद उक्त कृषि भूमि में विरासती नामान्तरकरण वादी एवं उसकी माता प्यारीदेवी, भाई कालुराम एवं बहिन कमलादेवी के नाम दर्ज किया गया था। वादी प्यारीदेवी, कालुराम एवं कमलादेवी थानाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है। उक्त कृषि भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा, माता प्यारीदेवी का 1/4 हक हिस्सा, कमलादेवी का 1/4 हक हिस्सा एवं कालुराम का 1/4 हक हिस्सानुसार उक्त कृषि भूमि निहित हुई। उक्त कृषि भूमि थानाराम के सभी विधिक वारिसान की संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादरथ कृषि भूमि का वादी के पिता का फौतीदगी दर्ज होने के बाद प्यारी देवी पत्नी थानाराम एवं कमला देवी पुत्री थानाराम ने अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड हक तर्कनामा के दिनांक 30.05.2015 को वादी के पक्ष में तहरीर एवं तकमील कर निष्पादित करवा दिया, जिससे वादरथ कृषि भूमि में 3/4 हक हिस्से का एकमात्र मालिक व स्वामी वादी हुआ तथा 1/4 हक हिस्सा कालुराम का रहा है। कालुराम अपने 1/4 हक हिस्से की कृषि भूमि का बेचान

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 गोमाराम को दिनांक 25.05.2018 को कर दिया, जिससे कालुराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 गोमाराम के नामांतरकरण दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अजनबी व्यक्ति है, जिसको उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि एवं कालुराम की संयुक्त खातेदारी अविभक्त कृषि भूमि स्थित है। कालुराम के द्वारा उक्त अपने 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 जो अजनबी व्यक्ति है को कर दिया है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित होने से प्रत्येक इंच जमीन में वादी का हक व अधिकार निहित है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाड़ा वादी एवं कालुराम के बीच किया हुआ नही था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 का वादस्थ आराजीयात के किसी भी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 खरीददार है, जो एक अजनबी व्यक्ति है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की वादस्थ आराजीयात में अजनबी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने का कतई हक अधिकार नहीं है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 3/4 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त है एवं कालुराम का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी दर्जसुदा था। जिसने अपने 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये किसी विशिष्ट भू–भाग पर नाजायज तरीके से वादी को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 12.08.2018 को वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर नाजायज तरीके से बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये धोरा लगाकर कब्जा करने पर उतारू हुआ, तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृत्य करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को एलानिया धमकिया दी कि "हर सुरत में हिस्से से अधिक भूमि से तुम्हे बेदखल कर कब्जा कर लूंगा तथा उक्त कृषि भूमि में पैर भी नही रखने दूंगा"। प्रतिवादी संख्या 1 राजनैतिक दबाव प्रभाव रखने वाला व्यक्ति है तथा वादी एक गरीब किसान व्यक्ति है, जिसकी आय का एकमात्र जरिया उक्त कृषि भूमि ही है। प्रतिवादी संख्या 1 लाठी लकड़ी के बल पर जोर जबरदस्ती से वादी को बेदखल कर खरीद किये गये हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज तरीके से वादस्थ कृषि भूमि से वादी को बेदखल करने पर कामयाब हो जाता है, तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादी अपने जायज हक व अधिकारो से महरूम हो जावेगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने से साफ इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहने से यह वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पेश किया है। बिनायदावा दिनांक 12.08.2018 को वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि के विशिष्ट

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

भू–भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नाजायज तरीके से बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये धोरा लगाकर कब्जा करने पर उतारू हुआ, तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृत्य करने से मना करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को बेदखल कर जबरदस्ती नाजायज तरीके से कब्जा करने की धमकिया देने से एवं वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तह0 कार्यालय चल कर करवाने का कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बंटवाड़ा करवाने से साफ इन्कार कर देने से बमुकाम ग्राम धाकड़ी तह0 सोजत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह वाद अन्दर म्याद पेश किया है। वाद बावत् बंटवाड़ा का होने से प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि में वादी की 3/4 हिस्से की भूमि एवं प्रति0 सं0 1 की 1/4 हिस्से में अमल दरामद एवं राजस्व नक्शा में तरमीम करवाये जाने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करने से प्रति0 सं0 1 के जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस ~~प्रकार~~ राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रति0 सं0 2 को बावजूद तमिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थिति रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दि0 31.10.2018 को की गई। प्रति0 सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनसिंह चारण ने वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया। दिनांक 14.01.2019 को ~~राजीनामा~~ वादी एवं प्रति0 सं0 1 द्वारा राजीनामा पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वादी तथा प्रति0 सं0 1 ने तहरीरी राजीनामा मय संलग्न रंगीन नजरी नक्शा इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–धाकड़ी के खसरा नं0 2242 रकबा 0.3200 है0 किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 2243 रकबा 0.7500 है0 किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 2244 रकबा 1.0100 है0 कुल खसरा 03, कुल रकबा 2.0800 है0 लगान 10.40 रूपये में वादी का 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। वादीगण एवं प्रति0 सं0 1 के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा दोनो पक्षकारान ने आपसी सहमति से निम्नानुसार राजीनामा के जरिये खातेदारी कृषि का अपने अपने हिस्सेनुसार बंटवाड़ा कर लिया है।

अ. वादी के बंट व हक हिस्से की कृषि भूमिः–

ख0सं0	रकबा(हैक्टर)	किस्म	लगान
2242	0.3200	बा.दो.	1.60
2243	0.7500	बा.दो.	3.75
2244	0.4900	बा.दो.	2.45

कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5600 है0, लगान 7.80 रू0

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

ब. प्रतिवादी संख्या 1 के बंट व हक हिस्से की कृषि भूमि

ख0सं0	रकबा(हैक्टर)	किस्म	लगान
2244 / 1	0.5200	बा.दो.	2.60

कुल खसरा 01कुल रकबा 0.5200 है0, लगान 2.60 रू0

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा के जरिये बंटवाड़ा कर लिया है तथा उपरोक्त लिखे गये बंटवाडा के अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज हो गये है। दोनो पक्षकारान अपनी अपनी भूमि के चारों धोरा पाली लगा सकेंगे। माफिक राजीनामा अनुसार दोनो पक्षकारान वाद जरिये राजीनामा डिक्री करवाना चाहते है। दोनो पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। उक्त राजीनामा तहरीरी पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। इस प्रकार राजीनामा मय रंगीन नवशा अनुसार वाद डिक्री किये जाने तथा बंटवाड़ा विभाजन किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई व समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक तहरीरी/तस्दीक सुदा राजीनामा मय रंगीन नजरी नक्शा अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/नक्शा में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है, जिसमें अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति दी हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात एवं तहरीरी/तस्दीक सुदा राजीनामा दिनांक 14.01.2019 पर गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक तहरीरी/तस्दीक सुदा राजीनाम मय नजरी नक्शा उभय पक्षों की स्वकारोक्ति/सहमति हो जाने से वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की भूमि का बंटवाड़ा विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम/राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक तहरीरी/तस्दीक सुदा राजीनामा दिनांक 14.01.2019 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा धाकड़ी, पटवार हल्का धाकड़ी, तहसील सोजत ख0न0 2242, 2243 व 2244 कुल किता 03 रकबा 2.0800 हैक्टर बा0अ0 की कृषि भूमि में वादी व प्रति0 सं0 1 की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	हरीराम पुत्र थानाराम, जाति–मेघवाल, सा0 खातेदार–धीनावास तहसील	2242	0.3200	बा.दो.	1.60
		2243	0.7500	बा.दो.	3.75
		2244	0.4900	बा.दो.	2.45
2.	गोमाराम पंवार पुत्र मुकनाराम, जाति–मेघवाल,	2244 / 1	0.5200	बा.दो.	2.60

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

	सा0 ~~खातेदार~~– धीनावास खातिमC				
योग		4	2.0800	बा.दो.	10.40

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/राजस्व नक्शा में ~~रंगीन~~ तरमीम किया जावें। राजीनामा मय रंगीन नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिव किया जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय, डिकी पर्चा एवं राजीनामा तस्दीक सुदा मय रंगीन नजरी नक्शा 14.01.2019 की प्रमाणित छाया प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयुब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अयुब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हरीराम पुत्र थानाराम जाति मेघवाल निवासी धीनावास, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)		1. गोमाराम पंवार पुत्र मुकनाराम जाति मेघवंशी निवासी धीनावास, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 2. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद :– 132 / 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री सम्पतराज तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री किशनसिंह चारण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक तहरीरी / तस्दीक सुदा राजीनामा दिनांक 14.01.2019 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा धाकड़ी, पटवार हल्का धाकड़ी, तहसील सोजत ख0न0 2242, 2243 व 2244 कुल किता 03 रकबा 2.0800 हैक्टर बा0अ0 की कृषि भूमि में वादी व प्रति0 सं0 1 की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	हरीराम पुत्र थानाराम, जाति–मेघवाल, सा0 ~~खातेदार~~–धीनावास खातेदार।	2242	0.3200	बा.दो.	1.60
		2243	0.7500	बा.दो.	3.75
		2244	0.4900	बा.दो.	2.45
2.	गोमाराम पंवार पुत्र मुकनाराम, जाति–मेघवाल, सा0 खातेदार– धीनावास खातेदार।	2244 / 1	0.5200	बा.दो.	2.60
योग		4	2.0800	बा.दो.	10.40

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद / राजस्व नक्शा में रंगीन तरमीम किया जावें। राजीनामा मय रंगीन नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय, डिकी पर्चा एवं राजीनामा तस्दीक सुदा मय रंगीन नजरी नक्शा 14.01.2019 की प्रमाणित छाया प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला–पाली) राज

Scanned by CamScanner

मीजान –

मुबलिग –

बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.01.2019 को जारी की गई।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बावत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बावत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

Scanned by CamScanner